



1. श्रीमती राधा रानी सिंह पति स्व० कामेश्वर नारायण सिंह,  
PAN-BPQPS4137C Mob.-9431295231
2. श्री प्रदीप कुमार सिंह पिता स्व० कामेश्वर नारायण सिंह,  
PAN-ADLPS8881M Mob.-9334102583
3. श्री अरुण कुमार सिंह पिता स्व० कामेश्वर नारायण सिंह,  
PAN-ANTPS5251M Mob.-9001056555
4. श्री रविन्द्र कुमार सिंह पिता स्व० कामेश्वर नारायण सिंह,  
PAN-AWUPS3746B Mob.-9830692035

सभी का निवास स्थान - गणेश भवन, ग्राम- देव, थाना एवं पत्रालय - देव, जिला - औरंगाबाद (बिहार), सभी भारतीय नागरिक है, जिन्हें आगे भूस्वामीगण प्रथम पक्ष कहा गया है, इसमें इनके उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि स्थानापन्न तथा चयनित उत्तराधिकारी वो जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम पक्ष से है, सम्मिलित है।

तथा

कामेश्वर बिल्डकॉन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम (Act) 1956 के तहत पंजीकृत है, जिसका कार्यालय-101, गणेश कुटीर, तिलक मार्ग, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, पटना-800013, द्वारा निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह पिता स्व० कामेश्वर नारायण सिंह, निवास स्थान-गणेश भवन, पुनाईचक, पटना-800023, (बिहार), जिसे आगे विकासकर्ता बिल्डर कहा गया है, इसमें इनके उत्तराधिकारी कार्यालय प्रतिनिधि एवं प्राधिकृत एजेंट तथा चयनित उत्तराधिकारी वो जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वितीय पक्ष विकासकर्ता से है सम्मिलित है के बीच निष्पादित किया जाता है।

PAN-AAECK9919M

Mob. No. 9973206708

#### संदर्भ

यह कि इस वसिका में उपरोक्त वर्णित भूस्वामीगण स्वत्वधारी अपने भूखण्ड पर एक आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं, भूखण्ड को पूरा विवरण इस वसीका के जमीमा एक में वर्णित है जिसमें भूस्वामीगण का पूर्ण स्वामित्व है, जिसके लिए उपरोक्त विकासकर्ता से बातचीत एवं विचार विमर्श किया गया, विकासकर्ता अपने कुल खर्च से बहुमंजिला भवन उपरोक्त भूखण्ड पर बनाने को तैयार हुए और निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत दोनों राजी है।



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

23/10/18

Pradeep Kumar Singh

23/10/18

Pradeep Kumar Singh

Pradeep Kumar Singh

23/10/2018

Pradeep Kumar Singh

23/10/18

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh

Director

विदित हो कि अनुसूची एक में वर्णित भूखण्ड भूस्वामीगण की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है, जिसे भू-स्वामी नं० 1 श्रीमती राधा रानी सिंह एवं उनके पति कामेश्वर नारायण सिंह ने अनुसूची सं०-1 में वर्णित प्लॉट नं० 29 में मवाजी 5 कट्टा भू-भाग को वजरिये वसीका, वसीका निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक-19.07.1988 ई०, निबंधित दस्तावेज नं०-9719, बुक नं०-1, जिल्द नं०-26/1990, पेज नं०-333 से 339 तक, निबंधन कार्यालय हाजीपुर, नविस्ते श्रीमती सुधा देवी पति श्री दिनेश कुमार महतो, निवासी - नया टोला, सगुना, थाना - दानापुर, जिला - पटना से खरीद किये है, जिसपर भू-स्वामी नं० 1 श्रीमती राधा रानी सिंह एवं उनके पति कामेश्वर नारायण सिंह स्वामी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल हुये, उसके बाद कामेश्वर नारायण सिंह स्वर्गवास कर गये, उनके स्वर्गवास कर जाने पर उनके सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों पर भू-स्वामी नं० 1 श्रीमती राधा रानी सिंह कुल रकवा 5 कट्टा पर अकेली स्वामिनी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल हुई वो हैं और भू-राजस्व बिहार सरकार को भुगतान करती आती है और भू-राजस्व रसीद भू-स्वामी नं० 1 श्रीमती राधा रानी सिंह के नाम से कटती है जिसका जमाबन्दी नं० 2330 है।

यह कि भू-स्वामी नं०-2 श्री प्रदीप कुमार सिंह ने अनुसूची सं०-1 में वर्णित प्लॉट नं०-29 में मवाजी-5 कट्टा भू-भाग को वजरिये वसीका, वसीका निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक-19.07.1988 ई०, एक निबंधित दस्तावेज नं०-9795, बुक नं० 1, जिल्द नं०-22., पेज नं०-197 से 203 तक, निबंधन कार्यालय हाजीपुर के द्वारा मवाजी 5 कट्टा भू-भाग नविस्ते श्रीमती सुधा देवी पति श्री दिनेश कुमार महतो, निवासी - नया टोला, सगुना, थाना - दानापुर, जिला - पटना से खरीद किये है, जिसपर भू-स्वामी नं०-2 श्री प्रदीप कुमार सिंह अकेला स्वामी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल हुये वो हैं और भू-राजस्व बिहार सरकार को भुगतान करते आते है और भू-राजस्व रसीद भू-स्वामी नं०-2 श्री प्रदीप कुमार सिंह के नाम से कटता है जिसका जमाबन्दी नं० 2331 है।

यह कि भू-स्वामी नं०-3 श्री अरुण कुमार सिंह ने अनुसूची सं०-1 में वर्णित प्लॉट नं०-29 में मवाजी-4 कट्टा भू-भाग को वजरिये वसीका, वसीका निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक-16.09.1988 ई०, निबंधित दस्तावेज नं०-4766, बुक नं०-1, जिल्द नं०-44, पेज नं०-165 से 169 तक, निबंधन कार्यालय हाजीपुर, नविस्ते श्रीमती सुधा देवी पति

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

23/10/18

Pradeep Kumar Singh 23/10/18

Pradeep Kumar Singh 23/10/2018

23/10/18

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

23/10/18

1. Pradeep Kumar Singh  
2. Pradeep Kumar Singh  
3. Pradeep Kumar Singh  
4. Pradeep Kumar Singh

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.  
Pradeep Kumar Singh Director

श्री दिनेश कुमार महतो, निवासी - नया टोला, सगुना, थाना - दानापुर, जिला - पटना से खरीद किये है, जिसपर भू-स्वामी नं०-3 श्री अरुण कुमार सिंह अकेला स्वामी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल हुये वो हैं और भू-राजस्व बिहार सरकार को भुगतान करते आते हैं और भू-राजस्व रसीद भू-स्वामी नं०-3 श्री अरुण कुमार सिंह के नाम से कटता है जिसका जमाबन्दी नं०-2329 है।

यह कि भू-स्वामी नं०-4 श्री रविन्द्र कुमार सिंह ने अनुसूची सं०-1 में वर्णित प्लॉट नं०-29 में मवाजी 5 कट्टा भू-भाग को वजरीये वसीका, वसीका निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक-19.08.1988 ई०, निबंधित दस्तावेज नं०-10939, बुक नं०-1, जिल्द नं०-23, पेज नं०-579 से 584 तक, निबंधन कार्यालय सोनपुर, नविस्ते श्रीमती सुधा देवी पति श्री दिनेश कुमार महतो, निवासी - नया टोला, सगुना, थाना - दानापुर, जिला - पटना से खरीद किये है, जिसपर भू-स्वामी नं० 4 श्री रविन्द्र कुमार सिंह अकेला स्वामी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल हुये वो हैं और भू-राजस्व बिहार सरकार को भुगतान करते आते हैं और भू-राजस्व रसीद भू-स्वामी नं० 2 श्री रविन्द्र कुमार सिंह के नाम से कटता है जिसका जमाबन्दी नं० 2328 है।

यह कि कामेश्वर नारायण सिंह पिता स्व० लक्ष्मी नारायण सिंह ने अनुसूची सं०-1 में वर्णित प्लॉट नं०-29 में मवाज-5 कट्टा भू-भाग को वजरीये वसीका, वसीका निर्विवाद बिक्रय पत्र दिनांक-19.07.1988 ई०, निबंधित दस्तावेज नं०-9726, बुक नं०-1, जिल्द नं०-21, पेज नं०-393 से 399 तक, निबंधन कार्यालय हाजीपुर, नविस्ते श्रीमती सुधा देवी पति श्री दिनेश कुमार महतो, निवासी - नया टोला, सगुना, थाना - दानापुर, जिला - पटना से खरीद किये थे, जिसपर उक्त कामेश्वर नारायण सिंह अपने ताजिन्दगी स्वामी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल रहे और अपने पीछे पत्नी श्रीमती राधा रानी सिंह (भू-स्वामी नं०-1) एवं तीन पुत्रगण क्रमशः 1. श्री प्रदीप कुमार सिंह (भू-स्वामी नं०-2), 2. श्री अरुण कुमार सिंह (भू-स्वामी नं०-3) एवं 3. श्री रविन्द्र कुमार सिंह (भू-स्वामी नं०-4) को छोड़कर स्वर्गवास कर गये, उनके स्वर्गवास कर जाने पर उनके सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों पर भू-स्वामी नं०-2 से 4 अपनी माता की सहमति एवं सम्मति से स्वामी स्वरूप अधिकृत एवं काविज दखिल हुये वो हैं और भू-राजस्व बिहार सरकार को भुगतान करते आते हैं और भू-राजस्व रसीद भू-स्वामी

23/10/18

Radha Ram Singh 23/10/18

Pradeep Kumar Singh 23/10/18

23/10/18

1. Radha Ram Singh  
2. Pradeep Kumar Singh

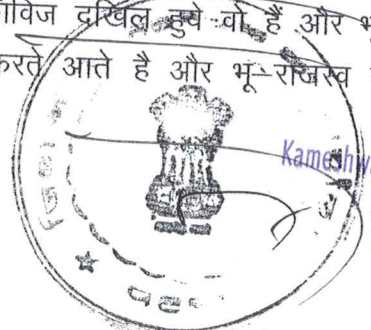
Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

23/10/18



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

नं०-2 से 4 के संयुक्त नाम से कटता है जिसका जमाबन्दी नं०-10434 है।

- यह कि भूस्वामीगण ने उपरोक्त भूखण्ड को विकसित करने के लिए उपरोक्त विकासकर्ता को नियुक्त किया है उन्होंने यह अधिकार प्रदान किया है कि वह उक्त भूखण्ड पर फ्लैट, कार पार्किंग स्पेश इत्यादि का निर्माण पटना विकास प्राधिकार का अनुमति प्रदान कर करेंगे तथा कुल विकसित भवन के क्षेत्रफल में जैसे कार पार्किंग में, फ्लैट में यानि सभी में अलग-अलग 49 प्रतिशत (उनचास प्रतिशत) हिस्सा विकासकर्ता का होगा तथा 51 प्रतिशत (एकवने प्रतिशत) हिस्सा भूस्वामीगण का होगा। भू-स्वामीगण अपने-अपने हिस्से पर काविज रहेंगे एवं विकासकर्ता का हिस्सा किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होगा।
- यह कि विकासकर्ता अनुसूची-1 में वर्णित भूखण्ड पर विकास के लिए जो भी जरूरी है बिल्डिंग प्लान इत्यादि बनाने के अधिकारी होंगे। भूखण्ड पर निर्माण में कुल खर्च का वहन विकासकर्ता करेंगे।
- यह कि बिहार अपार्टमेंट अधिनियम-2006 के अनुसार भूस्वामीगण को उक्त बहुमंजिला भवन के कुल निर्मित क्षेत्र के भूस्वामीगण अंश यानि 51 प्रतिशत हिस्से पर स्वामित्व होगा साथ ही भूस्वामीगण के उनके वारिसान का यह पूर्णतः अधिकार होगा कि वे किसी भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, व्यक्ति समूह को-ऑपरेटिव सोसायटी वो सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संस्था को हस्तांतरण एवं बेचने के लिए पूर्णतः अपने शर्तों एवं नियमों के आधार पर एकल या सामूहिक रूप से स्वतंत्र होंगे और इसके निश्चित वसीका का निबंधन कराने के भी अधिकारी स्वयं होंगे।
- यह कि विकासकर्ता को वर्णित सम्पत्ति का नक्शा स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य इस वसीका का लेख्य निष्पादन एवं निबंधन होने के 5 (पाँच) वर्ष के अन्दर प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत का पूर्णरूपेण निर्माण कर भूस्वामीगण को उनके हिस्से पर दखल कब्जा देंगे, इसके अलावे 6 (छः) माह की अवधि विकासकर्ता को भूस्वामीगण के द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिला भवन का निर्माण पूर्णरूप से करने के लिए ग्रेस पीरियड के रूप में दी जायेगी। इसके बावजूद अगर निर्माण कार्य में दिये गये समय के अलावा अतिरिक्त समय लगता है तो 10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र प्रति माह की दर से

*Radha Kani Singh*  
23/10/18

*Pradeep Kumar Singh*  
23/10/18

*Pradeep Kumar Singh*  
23/10/18

*Radha Kani Singh*  
23/10/18

*Pradeep Kumar Singh*  
Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

*Pradeep Kumar Singh*  
Director  
23/10/18

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

*Pradeep Kumar Singh*  
Director



पेनाल्टी के रूप में विकासकर्ता, भू-स्वामीगण को अदा किया करेंगे। अगर किसी ऐसे कारणवश जिसपर विकासकर्ता को अख्तियार न हो जैसे भूकम्प, अतिवृष्टि, प्राकृति आपदा होने की स्थिति में भूस्वामीगण द्वारा विकासकर्ता को अतिरिक्त समय दिया जायेगा एवं साथ ही यदि कोई सरकारी नितियों के कारण या मुकदमा के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रुक जायेगा तो वैसी स्थिति में जितने दिनों तक कार्य रुका रहेगा उतने दिनों का अतिरिक्त समय विकासकर्ता को दिया जायेगा।

5. यह कि विकासकर्ता, भूस्वामीगण को उक्त भवन में सभी सकल सुविधाओं सहित सभी संयुक्त लाभ के साथ उक्त बहुमंजिला भवन के कुल निर्मित क्षेत्रफल का 51 प्रतिशत (एकावन प्रतिशत) अंश को भूस्वामीगण के अंश को उक्त भूमि जिसपर बहुमंजिला भवन बना है के निश्चित सुपुर्द करेंगे। उक्त बहुमंजिला भवन के कुल निर्मित क्षेत्रफल के 49 प्रतिशत (उनचास प्रतिशत) अंश के ही पूर्णतः अधिकारी एवं घोषित स्वामी होंगे एवं भू-स्वामीगण एवं विकासकर्ता अपने-अपने हिस्से की प्लैट, कार पार्किंग स्पेस का जिस तरह से उपयोग वो उपभोग करना चाहेंगे करेंगे वो हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

6. यह कि विकास एकरारनामा में भवन निर्माण की सामग्रियों में कौन-कौन सी सामग्री किस क्वालिटी की होनी है उसका पूर्ण विवरण इस वसीका के अनुसूची-2 (दो) पर दी गई है तथा भवन निर्माण के साथ बिजली पानी जेनेरेटर, लिफ्ट आदि की क्वालिटी जो होगी, यह भी इस वसीका के अनुसूची-2 (दो) में दी गई है।

7. यह कि विकासकर्ता वर्णित भूखण्ड पर अपने सुविधानुसार एक या एक से अधिक बहुमंजिला भवन का निर्माण बिल्डिंग प्लान के अनुसार करके उसमें प्लैट व कार पार्किंग स्थल के साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास करेंगे। साथ ही उक्त निर्मित क्षेत्र में अपने अंश या 49 प्रतिशत हिस्से का जिस तरह भी चाहे वो उपर्युक्त व्यक्ति या कॉर्पोरेटिव सोसायटी या संस्था या अन्य जिसे उचित समझे, अपने अंश के प्लैट एवं पार्किंग क्षेत्र का हस्तांतरण करके उसके प्रतिफल के रूप में उक्त रुपये को स्वीकार कर सकते हैं।



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh Director

23/10/18

Pradeep Kumar Singh 23/10/18

Pradeep Kumar Singh 23/10/2018

23/10/18

23/10/18

1. Pradeep Kumar Singh  
2. Pradeep Kumar Singh  
3. Pradeep Kumar Singh  
4. Pradeep Kumar Singh

Pradeep Kumar  
Singh Director

8. यह कि विकासकर्ता इस वसीका में वर्णित अनुसूची-1 की भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन उन्हें भी भूस्वामीगण को हर तरह के वाद, वादा इत्यादि से सुरक्षित रखना होगा जो विकासकर्ता का किसी तृतीय पक्ष के बीच में होता है। भूस्वामीगण, विकासकर्ता को इस वसीका के अनुसार वर्णित भूमि के विकास से संबंधित हर प्रकार के कार्य के लिए अधिकृत करते है। विकासकर्ता किसी भी तरह का कर्ज, रेहन, इत्यादि भूस्वामीगण के अंश पर नहीं ले सकते है और विकासकर्ता के द्वारा लिए गए किसी भी कर्ज या रेहन की जिम्मेदारी भूस्वामीगण की नहीं होगी। यह कि उक्त बहुमंजिला भवन का नाम "द्वारिकाधीश रेसिडेन्सी (DWARIKADHISAH RESIDENCY)" अंकित किया जाता है।

9. यह कि विकासकर्ता निम्नलिखित घोषणा करते है कि :-

क) यह कि विकासकर्ता उक्त बहुमंजिला भवन का निर्माण अधिकृत प्राधिकार के नियम एवं कानूनों के अंतर्गत ही करेंगे, साथ उक्त अधिकृत प्राधिकार के नियमों के अनुसार ही उक्त बहुमंजिला भवन का नक्सा बनवाकर भू-स्वामीगण से सहमति लेकर उक्त प्राधिकार में सुपुर्द करेंगे एवं उनसे नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत ही उसे पारित करवायेगें।

ख) यह कि विकासकर्ता अपने खर्च पर वास्तुविद, सर्वेयर, इंजिनियर इत्यादि अन्य व्यक्ति जिनकी सहायता आवश्यकता हो नियुक्त करेंगे।

ग) यह कि विकासकर्ता अधिकृत प्राधिकार में बिजली कनेक्शन वो परमीट या कोटा के लिए आवेदन देंगे, उसे स्वयं प्राप्त करेंगे।

घ) यह कि वर्णित भूमि के निश्चत किसी भी तरह के वाद, अन्य कानूनों वाद, न्यायालय, मजिस्ट्रेट के सामने अन्य प्राधिकार वो ट्रिव्यूनल के सामने पक्षकार की हैसियत से भूस्वामीगण के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थिति होंगे, वकील को नियुक्त करेंगे, तथा पक्षकार के हैसियत से भूस्वामीगण के प्रतिनिधि के रूप में वकालतनामा, नोटिस, आदेश आवेदन एफिडेविट इत्यादि कर हस्ताक्षर करेंगे।

ड.) यह कि वर्णित भूमि पर प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में अपने 49 प्रतिशत अंश को रहने या कर्ज के तौर पर किसी भी बैंक

*Radha Rani Singh*  
23/10/18

*Pradeep Kumar Singh*  
23/10/18

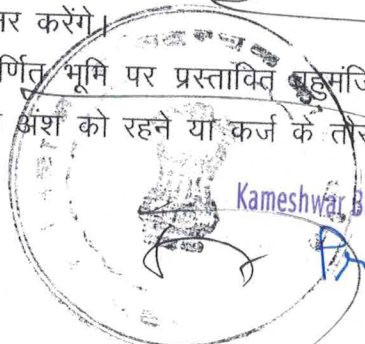
*Radha Rani Singh*  
23/10/18

*Pradeep Kumar Singh*  
23/10/2018

*Radha Rani Singh*  
*Pradeep Kumar Singh*

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

*Pradeep Kumar Singh*  
Director



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

*Pradeep Kumar Singh*  
Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

*Pradeep Kumar Singh*  
Director

23/10/18

या आर्थिक संस्थान में रहन पर रखकर उक्त प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए यदि जरूरत समझें तो पुंजी या कार्यगत पुंजी की व्यवस्था करेंगे। उक्त पुंजी के अदायगी की जिम्मेदारी सिर्फ विकासकर्ता की ही होगी, साथ ही विकासकर्ता के द्वारा उक्त पुंजी का उपयोग सिर्फ व केवल इसी प्रोजेक्ट अर्थात् उक्त भूखण्ड के निर्मित होने वाले प्रस्तावित बहुमंजिला भवन के लिए ही उपयोग होगी।

- च) यह कि विकासकर्ता के द्वारा उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में निर्मित होने वाले फ्लैट या अन्य क्षेत्र को किसी भी एक या एक से अधिक व्यक्ति, व्यक्ति समूह या सोसायटी इत्यादि को क्रेता के रूप में हस्तांतरण करने का अधिकार होगा, परन्तु उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में निर्मित भूस्वामीगण के अंश का हस्तांतरण केवल भूस्वामीगण को ही करने का अधिकार होगा।
- छ) यह कि विकासकर्ता को उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में बनने वाले फ्लैट व पार्किंग स्थल या अन्य निर्मित को किसी भी व्यक्ति से क्रेता के रूप में भूस्वामीगण के अंश को छोड़कर, वैध-बेयाना या अन्य दस्तावेज को निष्पादन या आवंटन करने का अधिकार होगा।
- ज) यह कि उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में बनने वाले फ्लैट या पार्किंग स्थल या अन्य निर्मित को अपने-अपने अंश का मालिकाना हक के रूप में हस्तांतरण करते हुए उसके निश्चित प्रतिफल के रूप में मुल्य प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- झ) यह कि मुख्यतः जो भी कार्य उस भूखण्ड के विकास के लिए उचित हो करने के अधिकारी होंगे।
- 10) यह कि विकासकर्ता अपने अंश के निश्चित आने वाले निर्मित क्षेत्र को किसी को भी हस्तांतरण करने व बेचकर उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
- क) यह कि भूस्वामीगण के द्वारा विकासकर्ता को यह भी विश्वास दिलाया गया है कि यदि उन्हें भूस्वामीगण या भूस्वामीगण के हस्ताक्षर की जरूरत हो आवश्यकता हो तो जब भी जहाँ उचित समझे उनके इच्छानुसार हस्ताक्षर बना देंगे।
- ख) यह कि उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला भवन के निर्माण होने के पश्चात यदि विकासकर्ता को आवश्यकता हो तो, उसपर

23/10/18

Radha Ram Singh 23/10/18

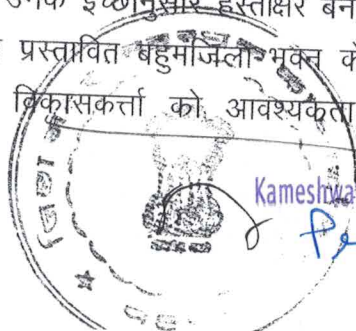
Radha Ram Singh

Pradeep Kumar Singh 23/10/2018

Radha Ram Singh  
Pradeep Kumar Singh

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh  
Director



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh  
Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh  
Director

निर्मित होने वाले फ्लैट वो पार्किंग स्थल या अन्य निर्मित क्षेत्र के निश्चित होने वाले कानूनी दस्तावेज पर संयुक्त रूप से विकासकर्ता के साथ भूस्वामीगण हस्ताक्षर बनायेंगे।

- 11) यह कि भवन निर्माण कार्य-काल में या निर्माण कार्य के पश्चात् विकासकर्ता एवं भूस्वामीगण अपने-अपने हिस्से के फ्लैटों एवं पार्किंग स्थल को बिक्रय या हस्तान्तरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे साथ ही इसके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं होगी और न किसी का दबाव होगा यानि जब चाहें जैसे चाहें हस्तान्तरण या बिक्रय कर सकते हैं तथा उसके निबंधन की प्रक्रियाओं को सम्पन्न कर सकते हैं। इसपर दोनों पक्ष सहमत हैं।

12) भूस्वामीगण प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि -

- क) यह कि वसीका से संबंधित भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 24 कट्टा (चौबीस कट्टा) यानि 75 डी0 है, जिसका पूर्ण विवरण इस वसीका के अनुसूची सं0-1 में दिया गया है।
- ख) यह कि वर्णित सम्पत्ति हर तरह के वाद विवाद, रेहन, कर्ज वो बंधक से मुक्त भूमि के रूप में है, साथ ही भूस्वामीगण यह भी आश्वासन देते हैं कि यदि किसी तरह का स्वामित्व संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा वह स्वयं करेंगे तथा इससे संबंधित सभी विवादों के स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- ग) यह कि प्रथम पक्ष यह एकरार करते हैं कि वर्णित भूमि सकल रूप से दोष तथा ऋणभार से मुक्त है।
- घ) यह कि पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, दानापुर नगर परिषद, आयकर विभाग, भू-हदबंदी विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा वर्णित जमीन के अधिग्रहण से सम्बन्धित न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में किसी तरह का नोटिस जारी किया गया है।
- ड.) यह कि किसी भी रेवेन्यू विभाग या टैक्सेसन विभाग या किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा वर्णित जमीन के अधिग्रहण से सम्बन्धित न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में किसी तरह का नोटिस जारी किया गया है।



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh Director

23/10/18

Radha Ram Singh 23/10/18

Pradeep Kumar Singh  
23/10/2018

Radha Ram Singh  
23/10/18

Pradeep Kumar Singh  
23/10/18

Radha Ram Singh  
Pradeep Kumar Singh

Pradeep Kumar Singh

Pradeep Kumar  
Singh Director

- च) यह कि वर्णित भूमि से सम्बन्धित किसी भी सक्षम न्यायालय में किसी तरह का वाद लम्बित नहीं है और न ही अधिग्रहण आदेश निर्णय के पूर्व और पश्चात में पारित किया गया है, और न ही उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी तरह का आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
- छ) यह कि वर्णित भूमि प्रथम पक्ष का सम्पत्ति है जिसपर उनका पूर्ण स्वामित्व, कब्जा, सम्प्रभुता तथा अधिकार हैं। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि वर्णित सम्पत्ति पूर्ण रूपेण पाक व साफ, दोषमुक्त तथा सम्पत्ति अधिभार से मुक्त हैं एवं प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष के साथ विकास एकरारनामा करने का पूर्ण हक व अधिकार है।
- 13) यह कि भूस्वामीगण को इस विकास एकरारनामा के सम्पन्न होने के पश्चात वर्णित भूखण्ड को किसी को भी बेचने, हस्तांतरण करने या किसी दूसरे विकासकर्ता को नियुक्त करने इत्यादि का अधिकार नहीं होगा।
- 14) यह कि भूस्वामीगण द्वारा उद्धोषित बातों की सत्यता को स्थापित करने हेतु या जब भी विकासकर्ता को आवश्यकता महसूस हो उक्त उद्धोषित बातों की सत्यता हेतु जो भी दस्तावेज हो उसकी मूल प्रति विकासकर्ता को जब जरूरत समझे सुलभ करायेंगे तथा उस सभी दस्तावेज की छायाप्रति प्रदान कर देंगे।
- 15) यह कि भूस्वामीगण को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि विकासकर्ता द्वारा उनके नाम से ही अधिकृत प्राधिकार के सामने नक्शा प्रस्तुत करके उसे पारित करवायेगे, परन्तु यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसमें होने वाले भी खर्चा का वहन केवल विकासकर्ता के द्वारा ही किया जायेगा।
- 16) यह कि भूस्वामीगण द्वारा भविष्य में किसी भी तरह का प्रीमियम, ब्याज के रूप में राशि की माँग भूस्वामीगण द्वारा विकासकर्ता से उक्त प्रस्तावित बहुमंजिला भवन में उनके अंश अर्थात् कुल निर्मित क्षेत्रफल के 51 प्रतिशत (एकावन प्रतिशत) के निश्चित नहीं की जायेगी, उनका केवल अधिकार अपने अंश पर ही होगा।
- 17) यह कि यह वसीका एक साझेदारी वसीका न होकर एक विकास एकरारनामा है।

Radha Kani Singh 23/10/18  
Pradeep Kumar Singh 23/10/2018

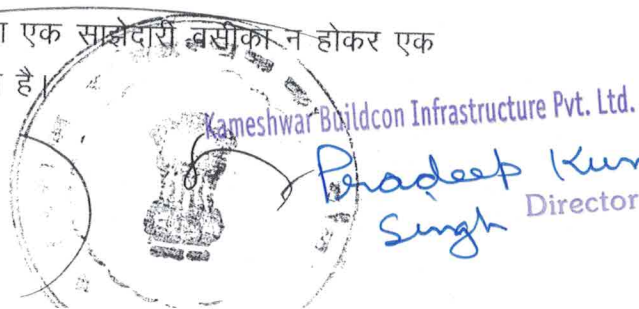
23/10/18

23/10/18

1. Radha Kani Singh  
2. Pradeep Kumar Singh  
3. Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.  
4. Pradeep Kumar Singh

Pradeep Kumar  
Singh  
Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.  
Pradeep Kumar  
Singh  
Director  
23/10/18



- 18) यह कि भूस्वामीगण को अपने अंश मिलने के पश्चात वे भी विकासकर्ता द्वारा दिए गए व्यक्ति समूह या कॉर्पोरेटिव सोसायटी के सदस्य होंगे। वे भी सभी सामान्य सेवाओं तथा सामान्य क्षेत्र को उपयोग अन्य क्रेताओं की तरह उसे व्यक्ति समूह या को-ऑपरेटिव सोसायटी के शर्तों एवं नियम के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 19) यह कि यदि उक्त प्रस्तावित भूखण्ड पर किसी तरह के अवैध तल या निर्माण के लिए किसी भी तरह का आर्थिक दंड या जुर्माना लगाया जाता है तो उसका पूर्णतः भुगतान सिर्फ विकासकर्ता के द्वारा ही किया जायेगा।
- 20) यह कि यदि उक्त भूखण्ड की उन्नति या वृद्धि के लिए जहाँ वर्णित भूमि अवस्थित है, दानापुर नगर परिषद या अन्य किसी प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का टैक्स, अधिभार इत्यादि लगाया जाता है, तो उसका भुगतान विकासकर्ता को करना होगा।
- 21) यह कि भवन निर्माण कार्यकाल में या निर्माण-कार्य के पश्चात् विकासकर्ता एवं भूस्वामीगण अपने हिस्से को जिन क्रेताओं या संबंधित व्यक्तियों को हस्तान्तरण करेंगे या बेचेंगे उस निश्चित जो दस्तावेज या बैयला कलामी या विक्रय पत्र होगा उस दस्तावेज के निबन्धन का खर्च तथा अन्य सभी खर्च क्रेता के द्वारा देय होगा।
- 22) यह कि भूखण्ड पर विकासकर्ता विकास कार्य करने के लिए सुविधानुसार मोड़म, इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, तथा साईन बोर्ड इत्यादि लगा सकते हैं।
- 23) यह कि विकासकर्ता या उनके अधिकृत व्यक्तियों द्वारा चल रहे निर्माण कार्य को किसी भी आवश्यकता तहत भूस्वामीगण द्वारा रोक नहीं जा सकता है, यह भी स्पष्ट है कि जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर भूस्वामीगण को उक्त दस्तावेज या वसीका या बैयला कलामी या हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर बनाना होगा, यदि भूस्वामीगण ऐसा करने से मना करें तो विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय में जाकर कार्रवाई कर उक्त वसीका का निष्पादन न्यायालय के आदेशानुसार, भूस्वामीगण के खर्च पर करेंगे।

Rodha Ram Singh 23/10/18

Pradeep Kumar Singh 23/10/18

23/10/18

23/10/18

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director 23/10/18

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

1. Rodha Ram Singh  
2. Pradeep Kumar Singh  
3. Pradeep Kumar Singh  
4. Pradeep Kumar Singh

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

24) यह कि भविष्य में दोनों पक्षों (भूस्वामीगण और विकासकर्ता) के बीच कोई मतभेद या विवाद जमीन के संबंध में वो उसपर विकसित होने वाले भवन के संबंध या विकास एकरारनामा में उद्घत शर्तों में उत्पन्न हो जाता है तो वैसे हालत में उक्त विवाद या मतभेद का निपटारा पटना व्यवहार न्यायालय में किया जाएगा।

25) यह कि भविष्य में दोनों पक्षों के बीच विकासकर्ता द्वारा उक्त भूखण्ड के किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण पारित होता है या किया जाता है तो उसका भी आवंटन इस वसीका के नियमों के अनुसार ही होगा अर्थात् भूस्वामीगण को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का 51 प्रतिशत एवं विकासकर्ता को अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का 49 प्रतिशत मिलेगा।

26) यह कि विकास एकरारनामा के निष्पादन के तिथि के पूर्व यदि भूमि के निश्चित किसी तरह का भू-कर, जल कर या विद्युत कर इत्यादि बकाया होगा तो उसका भुगतान भूस्वामीगण के द्वारा किया जायेगा, इसी तरह इस वसीका के निष्पादन के तिथि के बाद के सभी खर्च का भुगतान विकासकर्ता के द्वारा किया जायेगा, इसके विकासकर्ता के द्वारा यह भी वादा किया जाता है कि उस सभी खर्चों से भूस्वामीगण को अलग रखा जायेगा।

27) यह कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से प्रत्येक तल में निर्मित क्षेत्रफल का बंटवारा आपस में करेंगे।

28) यह कि यदि कोई एक पक्षकार द्वारा अपने उतरदायित्व का निर्वाहन सही से न किया जाए या अतिरिक्त विलम्ब किया जाए तो दूसरे पक्ष को उक्त उल्लंघन या विलम्ब के लिए हर्जाना या जुर्माना प्राप्त करने का अधिकार होगा।

29) यह कि किसी तरह का वाद-विवाद या मतभेद भूस्वामीगण या विकासकर्ता के बीच उत्पन्न होता है तो भूस्वामीगण एवं विकासकर्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 तथा संशोधित नियम 1996 के तहत किया जायेगा।

30) यह कि निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात विकासकर्ता और भूस्वामीगण के द्वारा एक एशोसिएशन या संघ बनाया जायेगा जिसका सभी क्रेतागण/सदस्य/फ्लैट मालिकगण सदस्य



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

Radha Rani Singh 23/10/18  
Pradeep Kumar Singh 23/10/2018

23/10/18  
23/10/18

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.  
Pradeep Kumar Singh Director  
23/10/18

1. Radha Rani Singh  
2. Pradeep Kumar Singh  
3. Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

स्वरूप होंगे, इस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेंट का रख-रखाव देख-भाल, इस एशोसिएशन के अंतर्गत करेंगे।

### अनुसूची-1 (एक)

#### (भूमि का पूर्ण विवरण)

म्वाजी-24 कट्टा (चौबीस कट्टा) यानि-75 डी0, आवासीय परती भूखण्ड, वाके मौजा-धनौत, महुल्ला-धनौत राम जयपाल नगर, थाना - दानापुर, सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला पटना, जिसका थाना नं0-20 (बीस), तौजी-बिहार सरकार, खाता नं0-625 (छः सौ पच्चीस), सर्वे प्लॉट नं0-29 (उनतीस) का अंश, वो उपरोक्त सम्पत्ति दानापुर नगर परिषद के अन्दर है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है:-

#### चौहद्दी

- उत्तर :- सहायक सड़क  
दक्षिण :- प्रेम लाल राय वगैरह हाल खरीदार दीगर  
पूरब :- सर्वे प्लॉट नं0-30 एवं 31  
पश्चिम :- मिथिलेश कुमार महतो हाल खरीदार दीगर

#### मूल्यांकन क्रम सं0-071,

सम्पत्ति का मूल्य :-6,37,55,000/- (छः करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार रुपये) मात्र जिसपर मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क देय है।

#### अनुसूची-2 (दो)

1. फाउन्डेशन - आर.सी.सी. पायलिंग भूकंप अवरोधी स्ट्रक्चर डिजाइनर के अनुसार।
2. स्ट्रक्चर - आर. सी. सी. फ्रेम स्ट्रक्चर।
3. सिविल वर्क - प्रथम श्रेणी का ईट वर्क सीमेन्ट मोर्टार के साथ
4. छत - आर. सी. सी.
5. फर्स - मार्बल/भीटरीफाईड टाइल्स सोमानी/कजरिया (300x300 मि0मि0) सभी जगह में।
6. प्लास्टर - सीमेन्ट मोर्टार दिवार (1:6) सीलिंग (1:4)
7. दरबाजा - सखुआ लकड़ी का चौखट 32 मी0मी0 मोटा फैक्ट्री से निर्मित प्लस डोर पैनल।
8. खिड़की - अल्युमिनियम की खिड़की
9. रसोईघर - ब्लैक ग्रेनाइट का वर्किंग प्लेटफार्म, (ब्रांडेड स्टील सिंक तथा दिवाल में प्लेटफार्म के उपर 24 ईंच ग्लेज्ड टाइल्स साथ में 7 फीट उँचाई पर आर.सी.सी 2 फीट का स्लैब
10. वाथरूम - दिवाल में पूरा ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोरिंग साथ ही गर्म एवं ठंडा जल आपूर्ति फिटिंग, (ब्रांडेड) नल/जॉयन्ट/जाल/ईस्को कम्पनी का लगेगा तथा चीनी मिट्टी का सफेद पैरीवेयर पैन फिटिंग।



Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh Director  
22/10/18

Radha Kani Singh 23/10/18  
Pradeep Kumar Singh  
23/10/2018

22/10/18

22/10/18

1. फाउन्डेशन

2. स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क
4. छत
5. फर्स
6. प्लास्टर
7. दरबाजा
8. खिड़की
9. रसोईघर

10. वाथरूम

Radha Kani Singh  
Pradeep Kumar Singh  
Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.  
Pradeep Kumar  
Singh Director

11. विद्युत वायरिंग - कैंसिल्ड पी. बी. सी. कौड्यूट वायरिंग सहित स्टैण्डर्ड क्वालिटी आई.एस.आई./हैवेल्स/एंकर निर्मित का फिटिंग स्वीच के साथ।
12. दिवाल फिनिशिंग - अन्दर वाल पुट्टी डिस्टेम्पटर (एसियन या बर्गर)
13. सीवेज - सीवेज डिजाइन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
14. जेनरेटर - जलापूर्ति तथा कॉमन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे फ्लैटों के लिए।
15. इन्टरकॉम - सभी फ्लैटों में एक प्वाइंट होगा, अतिरिक्त खर्च पर अन्य प्वाइंट होगा।
16. कॉमन प्लेस - सीढ़ी पर कोटा टाईल्स।
17. पार्किंग - सिमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग साथ में पार्किंग टाईल्स या दाना।
18. बाहरी दिवाल - पूरी तरह कम्पलीट

यह कि यह विकास एकरारनामा भू-स्वामीगण एवं विकासकर्ता के कथनानुसार तैयार किया गया है जिसपर दोनों पक्ष स्वतंत्र गवाहनों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर बनाये जो कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

#### गवाह

1. Rakesh Priyadarshi  
w/o Pradeep Kumar Singh  
Ganesh Bhawan  
Purichak Deri Muradabad
2. Rakesh Kumar Singh Patna 23  
S/o - Late Bhanu Singh  
Dighaghat, Patna - 11  
23.10.2018
3. Anshu Kumar  
S/o - Surendra Singh  
JM/526, Mooridih  
Jahadik, Dhanbad  
Shankard - 828129  
23.10.2018

#### भूस्वामीगण का हस्ताक्षर

Rakesh Kumar Singh  
1 श्रीमती राधा रानी सिंह 23/10/18

Pradeep Kumar Singh  
2 श्री प्रदीप कुमार सिंह 23/10/18

3 श्री अरुण कुमार सिंह

4 श्री रविन्द्र कुमार सिंह 23/10/18

#### विकासकर्ता का हस्ताक्षर

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar Singh Director

23/10/18  
जॉय सिंह

23.10.2018

### Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped ( or exempted from or does not require stamp duty ) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act

Rs. 1275100/-

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act

Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper

Rs. 5000/-

Amt. paid through Bank Challan

Rs. 1315625/-

#### Registration Fee

|          |        |   |     |       |     |      |     |   |      |       |
|----------|--------|---|-----|-------|-----|------|-----|---|------|-------|
| FEE PAID | A1     | 0 | C   | 0     | H1b | 0    | K1a | 0 | Lii  | 0     |
|          | A8     | 0 | D   | 0     | H2  | 0    | K1b | 0 | Liii | 0     |
|          | A9     | 0 | DD  | 0     | I   | 5000 | K1c | 0 | Mb   | 25    |
|          | A10    | 0 | E   | 40000 | J1  | 0    | K2  | 0 | Na   | 0     |
|          | B      | 0 | H1a | 0     | J2  | 0    | Li  | 0 |      | 0     |
|          | TOTAL- |   |     |       |     |      |     |   |      | 45025 |

#### LLR + Proc Fee

|           |   |
|-----------|---|
| LLR       | 0 |
| Proc. Fee | 0 |
| Total     | 0 |

#### Service Charge

|     |
|-----|
| 500 |
|-----|

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 45525

Date: 23/10/2018

Registering Officer  
Patna

### Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Tuesday, 23rd October 2018 by Radha Rani Singh Late Kameshwar Narayan Singh by profession Others. Status - Executant

Radha Rani Singh  
23/10/18

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 23/10/2018

Registering Officer  
Patna

### Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Rekha Priyadarshini' age '50' Sex 'F', 'Pradeep Kumar Singh', resident of 'Ganesh Bhawan, Punaichak, Devi Mandir Road, Patna'. ), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 23/10/2018

Registering Officer  
Patna

### Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 294 on pages on 121 -138, for the year 2018 and stored in CD volume No. CD-45 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 23/10/2018

Token No. : 12899 Year : 2018 S.No. : 12650

SCORE Ver.4.1

Deed No. : d No. : 11228

Registering Officer  
Patna

Kameshwar Buildcon Infrastructure Pvt. Ltd.

Pradeep Kumar  
Singh  
Director





विहार सरकार  
 Registration, Excise & Prohibition Dept. Govt. of Bihar

PORTAL FOR SERVICES

Help

## View GRN Details Live

### Download e-Challan

|                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRN                                               | : <i>fr. 12899/18.</i><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BHR201810104794M</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px;">VIEW</div> |
| DSRO CODE                                         | <b>2800</b>                                                                                                                                                                          |
| Party Name                                        | <b>Kameshwar Buildcon and Infrastructure Pvt.ltd.</b>                                                                                                                                |
| Stamp Duty-<br>(R0030021030001)                   | <b>1270100</b>                                                                                                                                                                       |
| Registration & Other<br>Fees-<br>(R0030031040001) | <b>45025</b>                                                                                                                                                                         |
| LLR & Proc Fee-<br>(R0029008000006)               | <b>0</b>                                                                                                                                                                             |
| Challan Total<br>Amount                           | <b>1315125</b>                                                                                                                                                                       |
| Status                                            | <b>Success</b>                                                                                                                                                                       |
| Payment Date                                      | 2018-10-22 15:05:23.0                                                                                                                                                                |
| CIN                                               | null                                                                                                                                                                                 |